



बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना

Bihar State Power (Holding) Company Limited

(निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TIN/VAT No.10011255025 CIN- U 40102BR2012SGC 018495

Website:- WWW.bsphcl.bih.nic.in

(Department of HR & Administration)

कार्यालय आदेश संख्या-H-II/Misc-Legal-8006 / 2018-1669

दिनांक 11-9-18.

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत निम्नांकित कुशल श्रेणी के आकस्मिक मजदूरों की कोटि को दिनांक- 01.09.2018 के प्रभाव से अतिकुशल श्रेणी की कोटि में उत्क्रमित किया जाता है-

क्र०सं 0	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य पर रखे जाने की तिथि	सेवा की अवधि (लगभग)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजीवन प्रसाद सिंह	CESA, Patna	01.01.1959	09.08.1982	लगभग 36 वर्ष
2.	श्री अशोक कुमार सिंह	Guesthouse. Patna	03.08.1962	20.07.1990	लगभग 28 वर्ष
3.	श्री कौलेश्वर महतो	Civil Div. Patna	03.08.1966	20.07.1990	लगभग 28 वर्ष
4.	श्री वरुण कुमार सिंह	CESA, Patna	02.04.1970	20.07.1990	लगभग 28 वर्ष
5.	श्री दिनेश कुमार सिंह	Civil Div. Patna	03.01.1976	20.07.1990	लगभग 28 वर्ष
6.	श्री नरदीप प्रसाद यादव	Guesthouse. Patna	01.01.1976	30.03.1994	लगभग 24 वर्ष
7.	श्री राधा मोहन सिंह	Guesthouse. Patna	01.11.1971	30.03.1994	लगभग 24 वर्ष
8.	श्री किशोरी प्रसाद	Guesthouse. Patna	04.11.1976	30.03.1994	लगभग 24 वर्ष
9.	श्री राम पदारथ प्र० सिंह	Guesthouse. Patna	04.11.1974	30.03.1994	लगभग 24 वर्ष
10.	श्री सुबोध सिंह	Guesthouse. Patna	05.10.1973	30.03.1994	लगभग 24 वर्ष
11.	श्री गोपाल सिंह	Guesthouse. New Delhi	15.07.1974	08.12.1998	लगभग 20 वर्ष

- (i) उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 से 10 पर वर्णित कम्पनी के आकस्मिक मजदूरों को श्रम ससाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अति कुशल कोटि के मजदूरों हेतु समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- (ii) क्रमांक 11 पर अंकित आकस्मिक मजदूर को संघीय राज्य क्षेत्र, नई दिल्ली के द्वारा अतिकुशल कोटि के मजदूरों हेतु समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- (iii) उपर्युक्त मजदूरों को समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर 20 % अतिरिक्त 'कटिजेंट भत्ता' का भुगतान किया जाएगा। कटिजेंट भत्ता पर EPF तथा ESI का अंशदान देय नहीं होगा।
- (iv) बिहार सरकार एवं संघीय राज्य, नई दिल्ली द्वारा अतिकुशल कोटि के आकस्मिक मजदूरों के लिए समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किये जाने पर कम्पनी के आकस्मिक मजदूरों को अतिकुशल कोटि के संशोधित न्यूनतम मजदूरी पर 'कटिजेंट' भत्ता की राशि में भी परिवर्तन किया जाएगा।

ह०

(सुनील कुमार सिंह)

उपमहाप्रबंधक (कार्यक्रम)

ज्ञापांक 1083

दिनांक 11.9.18.

प्रतिलिपि : सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/ राजस्व)/ सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ सभी उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/ सभी उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/ राजस्व) / उपमहाप्रबंधक (आई0 टी0)/उपमहाप्रबंधक (जनसम्पर्क)/सभी उपमहाप्रबंधक -सह- विद्युत अधीक्षण अभियंता/विधि परामर्शी /सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक /सभी उपविधि परामर्शी /सभी विद्युत कार्य पालक अभियंता/कम्पनी सचिव/सभी सहायक विद्युत अभियंता/सभी कनीय विद्युत अभियंता/सभी संबन्धित जर्मोराण विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनी को सूचनाएं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)

11/9/18